मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल दिनांक 1 सितम्बर 2006

क्रमांक. 2187 – म.प्र.विनिआ – 2006 – विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 42 की उपधारा (5),(6) तथा (7) सहपठित धारा 181 की उपधारा (2) के अनुच्छेद (आर) तथा (एस) तथा इस संबंध में समस्त सामर्थकारी शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 1003–मप्रविनिआ–2004 दिनांक 12 अप्रेल 2004 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2004 में निम्न संशोधन करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2004 में द्वितीय संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :**

(i) ये विनियम **मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2004 (द्वितीय संशोधन) (क्रमांक एजी–3 (ii), वर्ष 2006)**'' कहे जावेंगे।

(ii) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

(iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. **अध्याय–4 में संशोधन :**

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2004 के अनुच्छेद 4.10 के उप अनुच्छेद (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात :

''(ग) लोकपाल आयोग कार्यालय का एक अभिन्न अंग होगा तथा इस संबंध में किया गया सम्पूर्ण व्यय आयोग द्वारा वहन किया जावेगा।''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उप सचिव